मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

CIN: U40109MP2001SGC014880

ब्लाक नंबर - 1, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर (म.प्र) 482008,

दूरभाष:(0761) 270-2934,फैक्स नं.: (0761) 2665550, ई-मेल: cfo@mptransco.nic.in

क्रमांक मु.वि.अ./ई आर पी / 1552   जबलपुर,दिनांक: 17 DEC 2018

ई आर पी परिपत्र 1

मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन) के परिपत्र क्रमांक AS/MPPTCL /E-I/3047 दिनांक 16/11/2018 के द्वारा आदेशित किया गया था कि दिनांक 03/12/2018 के पश्चात सभी transactions ई आर पी के माध्यम से ही किये जायेगे। साथ ही विधमान legacy system में भी parallel रूप से सारे transactions पूर्व में प्रचलित तरीके से किये जायेगे । इस संबंध में विभिन्न फील्ड कार्यालयों , मुख्यालय स्थित कार्यालयों एवं क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के द्वारा ई आर पी के सुचारू परिचालन में व्यावहारिक एवं परिचालन (practical and operational) की परेशानियों से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है । जिनको देखते हुए विस्तृत चर्चा के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिए गए है, जिनका पालन सुनिश्चित किया जाए -

(i) सभी transactions ई आर पी के माध्यम से और साथ ही विधमान legacy system में भी parallel रूप से करने के लिए यह सुनिचित किया जाना आवश्यक है कि फील्ड एव क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में सभी transactions को दोनों ही system पर प्रविष्ट करे ।

(ii) दिनांक 22/11/2018 के पश्चात जो देयक क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में प्रस्तुत नहीं किये गए है, अथवा क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों ने फील्ड कार्यालयों को वापस कर दिए है , वे सभी प्रकार के देयक फील्ड कार्यालयों द्वारा पुनः प्रस्तुत किये जायेगे ।

(iii) इसके अलावा जो देयक दिनांक 22/11/2018 के बाद प्राप्त हुए है या भविष्य में फ़ील्ड कार्यालयों में प्राप्त होंगे वे भी फील्ड कार्यालयों द्वारा दिनांक 31/12/2018 तक क्षेत्रीय लेखा कार्यालय में प्रस्तुत किये जाएंगे ।

(iv) उपरोक्त (ii) एवं (iii) में वर्णित देयक यदि फील्ड कार्यालय ई आर पी में प्रविष्ट कर सकते है तो वे कवर नोट तथा सभी डेबिट स्लिप/ जनरल वाउचर में यूनिक नंबर प्रविष्ट कर के क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में प्रस्तुत करेंगे ।

(v) उपरोक्त (ii) एवं (iii) में वर्णित देयक यदि फील्ड कार्यालय ने ई आर पी में प्रविष्ट नहीं किये है तो फील्ड कार्यालय कवर नोट तथा सभी डेबिट स्लिप/ जनरल वाउचर में यह अंकित करना सुनिश्चित करेंगे कि इस कवर नोट में उल्लेखित देयकों की एंट्री ई आर पी में नहीं की गई है । इस स्थिति में फील्ड कार्यालय इन सभी देयकों को ई आर पी में प्रविष्टि के उपरान्त दिनांक 15.01.2019 तक उपरोक्त वर्णित सभी देयकों की प्रविष्टि ई आर पी में कर दी गई है इस आशय का प्रमाण पत्र अपने क्षेत्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे ।

(vi) क्षेत्रीय लेखा कार्यालय उपरोक्त (ii) एवं (iii) में वर्णित देयकों को पास करने एवं भुगतान करने के लिए विधमान legacy system की प्रक्रिया को अपनायेगे और इनकी भुगतान की प्रविष्टि ई आर पी पर अनिवार्य रूप से करेंगे ।

(vii) जो देयक दिनांक 22/11/2018 के बाद प्राप्त हुए है या दिनांक 31/12/2018 तक प्राप्त होंगे एवं जिनका भुगतान मुख्यालय के माध्यम से किया जाना है , उनके लिए क्षेत्रीय लेखा कार्यालय विधमान प्रक्रिया अपनाते हुए मुख्यालय को अग्रेषित करते रहेंगे ।

(viii) जो देयक फील्ड कार्यालय ने ई आर पी में प्रविष्ट नहीं किये है और क्षेत्रीय लेखा कार्यालय ने विधमान legacy system के माध्यम से भुगतान कर के ई आर पी में प्रविष्ट कर दिया है उन सभी देयकों को फ़ील्ड कार्यालयों एवं क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के द्वारा ई आर पी में process करने और अन्य सम्बंधित कार्यवाही करने के लिए विस्तृत निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे ।

(ix) दिनांक 27/11/2018 तक क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों अथवा मुख्यालय पर जो liabilities, legacy system में लेखान्कित की जा चुकी है , उनके भुगतान को सम्बंधित क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों अथवा मुख्यालय द्वारा ई आर पी में एवं विधमान legacy system में parallel प्रविष्ट किया जाएगा । फील्ड कार्यालय ऐसे देयकों को वर्तमान में प्रचलित रीति से भुगतान हेतु पास कर के, दिनांक 31/12/2018 तक बिना ई आर पी में प्रविष्ट कर के सम्बंधित क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को भेजेंगे ।

(x) दिनांक 01/01/2019 से सभी देयकों की processing एवं भुगतान ई आर पी के माध्यम से ही किया जाएगा एवं दिनांक 01/01/2019 एवं उसके पश्चात क्षेत्रीय लेखा कार्यालय,फील्ड कार्यालयों से सभी तरह के देयक legacy system में तभी स्वीकार करेंगे जब फील्ड कार्यालय कवर नोट तथा सभी डेबिट स्लिप/ जनरल वाउचर में ई आर पी में एंट्री करने के पश्चात ई आर पी से प्राप्त यूनिक नम्बर अंकित करेंगे ।

(xi) सभी विभागाध्यक्ष अपने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को ई आर पी की प्रक्रिया को सुचारू रूप से कार्यान्वयन कराने के लिए master data एवं transaction data की उपलब्धता, दिनांक 26/12/2018 तक अनिवार्य रूप से मुख्यालय की आई टी ई आर पी टीम को करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश अपने स्तर पर जारी करेंगे, जिससे कि दिनांक 01/01/2019 से सभी transactions साथ साथ ई आर पी में एवं विधमान legacy system में parallel प्रविष्ट किये जा सके।

मुख्य वित्तीय अधिकारी
म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर

प्रतिलिपि :-

(i) कार्यपालक निदेशक (सी आर ए) / (एच आर डी आई) म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर
(ii) मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) / (टी एंड सी) / (पी एंड डी) / (ई एच टी - कंस्ट्रक्शन) / (ई एच टी - मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन) /(एस एल डी सी) / (एच आर एंड ए) / (ट्रांसमिशन- ईस्ट जोन) म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर
(iii) अतिरिक्त मुख्य अभियंता (आई टी - ई आर पी) / (स्काडा) / (सिविल-ट्रांस) / (विजिलेंस)/ (ट्रांसमिशन- सेन्ट्रल जोन)/ (ट्रांसमिशन- वेस्ट जोन) म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इन्दौर.
(iv) संयुक्त निदेशक (बिल्स एंड टैक्स) / (एकाउंट्स)/ (पी एंड पी एफ) म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर
(v) वरिष्ट लेखा अधिकारी , क्षेत्रीय लेखा कार्यालय - म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इन्दौर.
(vi) स्टाफ ऑफिसर कार्यालय प्रबंध निदेशक , म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर

नोट - क्रमांक (ii) एवं (iii) से अनुरोध है कि इस परिपत्र को अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को अग्रेषित करने का कष्ट करे ।

संयुक्त निदेशक (बैंक एवं अर्थ प्रबंधन)
कार्यालय -मुख्य वित्तीय अधिकारी
म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर